



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2012/फाल्गुन 25, 1933

No. 391]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2012/PHALGUNA 25, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2012

का.आ. 436(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उप-नियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (iii) में प्रकाशित की गई थी की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

(i) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2.	हाइड्रोलिक ब्रेक होज जब कभी मोटर यानों में उपयोग किया जाए	समय-समय पर यथा संशोधित आईएस: 7079-2008	1 अक्टूबर, 2013”
-----	---	--	------------------

(ii) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“18.	मोटर यानों जिनके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर और संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं पर 'टैलटेल और प्रदर्शक नियंत्रण पहचान' और 'नियंत्रक अवस्थित और प्रचालन अपेक्षाएं'	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 071-2009 (भाग-1 और भाग 2)	कृषि ट्रैक्टरों से भिन्न सभी यानों के लिए जिसके अंतर्गत संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं विद्यमान प्रतिमान : अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष नए प्रतिमान : अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष। कृषि ट्रैक्टर के लिए इंजन क्षमता 37 किलोवाट से कम : 1
------	---	--	--

